

11-9-18 पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान वकील
उपास्विकरंटी। मूल नंबर 017R-3 में रखा गया
होना चाहिए इसीलिये T-I. गाठ पर का सब
कार्रवाई नही रहना है अतः मूल
नंबर के परिपत्र में T-I. गाठ पर भी रखा गया
किया गया। पत्रावली जिस लुमाइ होकर
इस नम्बर से काम हो। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया। -1।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेफ